"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 अगस्त 2009—श्रावण 28, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक 5479/1732/21-ब/छ. ग./2009.—छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 9 सन् 1982) के अध्याय-3 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6992/डी-4294/21-ब/छ. ग./03, दिनांक 30-11-2003 को अतिष्ठित करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4997/1609/21-ब/छ. ग./2003, दिनांक 01-08-2003 के अनुक्रम में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करती है:—

ब-नामांकित सदस्य

11. **अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित**
    1. श्री पदम कुमार अग्रवाल (अधिवक्ता) - शिव सदन मुरारका लेन, कोरबा
    2. श्री यशवंत तिवारी (अधिवक्ता) - ब्लॉक डी-2, फ्लैट-7, श्री राम टॉवर्स, व्यापार-विहार, बिलासपुर.

12. **राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य**
    1. श्री रमेश बैस - संसद सदस्य
    2. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी - विधान सभा सदस्य

Raipur, the 12th August 2009

NOTIFICATION

No. 5479/1732/21-B/C. G./2009.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of Chapter-III of the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982), and in supersession of this Department Notification No. 6992/D-4294/XXI-B/C. G./03, dated 30-11-03 and in sequence of this Department Notification No. 4997/1609/XXI-B/C. G./03, dated 01-08-2003, the State Government hereby nominates the following persons in the Chhattisgarh Advocate Welfare Fund Committee for the purpose of this Act :—

B-NOMINATED MEMBERS

11. **Nominated by the bar counsil**

1.	Shri Padam Kumar Agrawal (Advocate)	-	Shiv Sadan Murarka Lain, Korba
2.	Shri Yashwant Tiwari (Advocate)	-	Block D-2, Flat-7, Shri Ram Towers, Vyapar-Vihar, Bilaspur.

12. **Nominated by the State Government**

1.	Shri Ramesh Bais	-	Member of Parliament
2.	Dr. Krishnmurti Bandhi	-	Member of Legislative Assembly

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.